[2022] 8 एससीआरस 785

आयकर आयुक्त-23

बनाम

एमएस मनसुख डाइंग और प्रिंटिंग मिल्स

(सिविल अपील क्रमांक 8258/2022)

24 नवंबर, 2022

[एम आर शाह और एमएस सुन्दरेश, जेजे]

आयकर अधिनियम, 1961 : धारा 45(4)- प्रयोज्यता-पूंजीगत लाभ-पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ यह लाभ-धारा 45(4) को पेश करने का उद्देश्य- निर्णित: धारा 45(4)मैं कहा गया है कि किसी फ़र्म या अन्य संघ के विघटन के कारण पूंजीगत संपत्ति के वितरण के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला लाभ यह लाभ व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय पर या अन्यथा फ़र्म की आय के रूप में कर लगाया जाएगा - धारा 45(4) की प्रस्तावना का उद्देश और धारा 45(4) को प्रस्तावना करके और धारा 2(47)(ii) को लोपकरखामियों को दूर करना था। पहले,"हस्तांतरण" की परिभाषा के दायरे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के वितरण के माध्यम से हस्तांतरण की छूट थी - इससे निर्धारिती को पूंजीगत लाभ कर लगाने से बचने में मदद मिली,परिसम्पत्तियोंकापुनर्मूल्यांकन करना और विघटन के समय स्थानान्तरित और वितरित करना- संशोधन द्वारा धारा 45(4) इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों संबंधित भागीदारों के पूंजी खातों में क्रेडिट को स्थानांतरण कहा जा सकता है जो श्रेणी में आता है अन्यथा और इसलिए धारा 45 लागू होगी। साझेदारी फ़र्म की परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और बढ़ी हुई राशि को उनके लाभ साझा करण अनुपात में भागीदारों के खातों में जमा किया गया-खातों में भारी क्रेडिट था-इस प्रकार परिसंपत्तियों कापुनर्मूल्यांकन किया गया और और पूंजी खातों में क्रेडिट किया गया संबंधित साझेदारों को स्थानांतरण कहा जा सकता है जो अन्यथा की श्रेणी में आता है और इसलिए 45(4) लागू होगी। साझेदारी फ़र्म की परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और बड़ी राशि को उनके लाभ साझा करना अनुपात में भागीदारों के खातों में जमा किया गया दास परिसंपत्तियों की पुनर्मूल्यांकन राशि का क्रेडिट भागीदारों की पूंजी खातों में प्रभावी वितरण के रूप में कहा जा सकता है परिसंपत्तियां-कुछ नए भागीदार छोटी मात्रा में पूंजी के परिचय से शामिल हुए और उनके पूंजी खातों में भारी क्रेडिट था-इस प्रकार परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और संबंधित भागीदारों के पूंजी खातों में जमा को स्थानांतरण कहा जा सकता है जो "अन्यथा" की श्रेणी में आता है और इसलिए धारा 45(4) लागू होगा। सेवानिवृत्त साझेदार के पक्ष में परिसंपत्तियों का हस्तांतरण-तत्काल मामले में साझेदारी फ़र्म की परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया

और बढ़ी हुई राशि को उनके लाभ साझाकरण अनुपात में भागीदारों के खातों में जमा किया गया-परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन की राशि का श्रेय साझेदारों के पूंजी खातों को परिसंपत्ति के प्रभावी वितरण में कहा जा सकता है-कुछ नए साझेदारों को छोटी मात्रा में पूंजी की शुरुआत के द्वारा सम्मलित किया गया और उनके पूंजी खातों में भारी क्रेडिट था-इस प्रकार परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और पूंजी खातों में क्रेडिट किया गया संबंधित साझेदारों को "स्थानांतरण" कहा जा सकता है जो "अन्यथा" की श्रेणी में आता है और इसलिए धारा 45(4) लागू होगी । सेवानिवृत साझेदार के पक्ष में परिसंपत्तियों का हस्तांतरण-तत्काल मामले में, साझेदारी फ़र्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और बढ़ी हुई राशि ko उनके लाभ साझाकरण अनुपात में भागीदारों के खातों में जमा की गई - परिसम्पतियों के पुनर्मूल्यांअकन की राशि का श्रेय साझेदारों के पूंजी खातों में परिसंपत्तियों की पुनः मूल्यांकन राशि का क्रेडिट परिसंपत्तियों की प्रभावी वितरण के रूप में कहा जा सकता है-कुछ नए साझेदारों को छोटी मात्रा में पूंजी ki शुरुआत के द्वारा शामिल किया गया है और उनके पूंजी खातों में भारी क्रेडिट था-इस प्रकार परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और संबंधित भागीदारों के पूंजी खाते में 'क्रेडिट् किया गया, संभंधित साझेदार को को स्थानांतरण कहा जा सकता है जो "अन्यथा" की श्रेणी में आता है और इसलिए, धारा 45(4) लागू होगा - साझेदारी फ़र्म की परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और बढ़ी हुई राशि को उनके लाभ -राजकारण अनुपात में भागीदारों के खातों में जमा किया गया- परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की राशि का श्रेय साझेदारों की पूंजी खातों को परिसंपत्तियों की प्रभावी वितरण में कहा जा सकता है-कुछ नए साझेदारों को छोटी मात्रा में पूंजी की शुरुआत की द्वारा शामिल किया गया और उनके पूंजी खातों में भारी क्रेडिट था इस प्रकार परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और पूंजी खातों में क्रेडिट किया गया- संबंधित साझेदारों को स्थानांतरण कहा जा सकता है जो "अन्यथा" की श्रेणी में आता है और इसलिए,धारा 45(4) लागू होगी। साझेदारी फ़र्म की परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और बढ़ी हुई राशि को उनके लाभ साझाकरण अनुपात में भागीदारों के खाते में जमा किया गया-परिसंपत्तियों की पुनर्मूल्यांकन की राशि का श्रेय भागीदारों की पूंजी खातों में प्रभावी वितरण के रूप में कहा जा सकता है परिसंपत्तियां-कुछ नए भागीदार छोटी मात्रा में पूंजी के परिचय से शामिल हुए और उनके पूंजी खातों में भारी क्रेडिट था-इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों और संबंधित भागीदारों के पूंजी खातों में क्रेडिट को स्थानांतरण कहा जा सकता है जो श्रेणी में आता है अन्यथा और इसलिए,धारा 45(4) लागू होगी।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

निर्णित: 1. धारा 45(4) को 01.04.1988 से वित् अधिनियम 1987, द्वारा संशोधित किया गया।धारा 45(4) की प्रस्तावना का उद्देश्य खामियों को दूर करना था।धारा 45(4) का परिचय देते समय, धारा 2(47) का खंड (ii) हटा दिया गया।पूर्व में, धारा 2(47) और धारा 47(ii) खंड को हटाने से पूंजीगत परिसंपत्तियों के वितरण के माध्यम से परिवर्तन को हस्तांतरण की परिभाषा के दायरे से छूट मिल गई थी। इससे करदाता को संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करके और फिर विघटन के समय उस स्थानान्तरित और वितरित करके पूंजीगत लाभ कर लगाने से बचने में मदद मिली।धारा 45(4) को सम्मिलित करने एवं धारा 2(47) को हटाने से उक्त ख़ामी दूर हो गई धारा 45(4) में प्रयुक्त शब्द या अन्यथा बहुत महत्वपूर्ण है। (पैरा 7.1, 7.2)

2. वर्तमान मामले में,साझेदारी फ़र्म की संपत्ति मूल्य में रुपये की वृद्धि करने के लिए पुनर्मूल्यांकन किया गया। 01.01.1993 (निर्धारण वर्ष 1993-1994 लिए प्रासंगिक) को 17.34 करोड और पुनर्मूल्यांकीत राशि को उनके लाभ-साझाकारण अनुपात में भागीदारों के खातों में जमा किया गया था और परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन राशि को भागीदारों की पूंजी खातों में जमा किया जा सकता है। रुपयों के मूल्य की संपत्ति के प्रभावी वितरण में कहा गया है।साझेदारों को 17.34 करोड़ रुपया मिले और इन वर्षों के दौरान, रुपये के बीच की छोटी मात्रा में पूंजी की शुरुआत से कुछ नए साझेदार शामिल हुए। 2.5 से 4.5 लाख और उक्त नए शामिल साझेदारों के पास साझेदारी में शामिल होने के तुरंत बाद उनके पूंजी खातों में भारी क्रेडिट था, जो राशि साझेदारों को निकासी के लिए उपलब्ध थी और वास्तव में कुछ साझेदारों ने अपने पूंजी खातों में जमा की गई राशि को वापस ले लिया।इसलिए, इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन परिसंपत्तियों और संबंधित भागीदारों कि पूंजी खातों में जमा को “स्थानांतरण” कहा जा सकता है और जो “अन्यथा” की श्रेणी में आते हैं और इसलिए, वित् अधिनियम,1987 द्वारा धारा45(4)का प्रावधान शामिल किया गया है। 01.04.1988 से लागू होगा।(पैरा 7.5)(798-जी एच; 799-एबी)

आयकर आयुक्त बनाम ए एम नाइक एसोसिएट्स और अन्य। (2004) 265346 बीओएम/-पर भरोसा किया गया

आयकर आयुक्त,पश्चिम बंगाल बनाम हिंदी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (1972)4 एस सी सी460-अनुपयुक्त ठहराया गया

आयकर आयुक्त मुंबई बनाम टैक्स पेन इंजीनियरिंग।और एम एस जी मुम्बई (2003) आईटीआर (बॉम्बे) संदर्भ के लिए भेजा।

आयकर आयुक्त-23 बनाम एम/एस सी डॉट मनसुख ड्राइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स

केस क़ानून संदर्भ

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 2022 2 की सिविल अपील संख्या 8258

2009 की आयकर अपील संख्या 1074 में बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.06.2013 से

साथ

2022 की सिविल अपील संख्या इससे 8259

विक्रमजीत बनर्जी, ए एस जी , रुपेश कुमार, सुश्री गार्गी,सुश्री प्रियंका दास, दिव्यांश एच राठी, सिद्धार्थ, तथागत शर्मा, सुश्री जाननी प्रकाश, यादव, कार्तिक डे, राज बहादुर यादव सलाहकार अपीलकर्ता के लिए।

सुश्री नैन्सी शमीम, लक्ष्मिश क़ामत, सौ कामथ सुफल सुश्री स्मृति ओझा परीजाद किशोर सौ अंक और कश्यप राहुल श्याम भंडारी विनोद खन्ना भी सुझाव सलाहकार प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

श्री शाह जे.

1. बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2013 आयकर अपील संख्या 1074, 2009(निर्धारण वर्ष 1993-1994)से संबंधित पारित किया गया और निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.06.2013 को आयकर अपीली संख्या 1174, 2009 पारित निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, जिसके द्वारा निर्धारिती के संबंध में M/s डाइंग और छपाई एक भागीदारी फ़र्म, उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को ख़ारिज कर दिया है और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण इसके बाद के रूप में संदर्भित द्वारा पारित संबंधित आदेशों की पुष्टि की है, जिसमें निर्धारण अधिकारी के द्वारा अल्पकालिक पूंजीगत लाभ को हटा दिया गया है।राजस्व ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. वर्तमान अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:-

2.1 प्रतिवादी निर्धारिती मूल रूप से एक भागीदारी फ़र्म फॉर साझेदार से नहीं है जो कपड़ों की रंगाई औरछपाई, प्रसंस्करण, विनिर्माण और व्यापारके व्यवसाय मेंनियोजित है।दिनांक 02.02.1991 पारिवारिक निपटान के अंतरगत, मौजूदा साझेदारों में से एक का हिस्सा श्री ए मैच दोषी की फ़ार्म में 25% लाभ हिस्सेदारी को घटाकर 12% कर दिया गया था और उनके शेयर 13 % शेयर के लिए 3 नए साझेदारों को शामिल किया गया था,अर्थात,श्रीमती रंजन दोषी11% श्रीपद प्रकाश दोषी 1% और श्री राजीव दोषी 1% ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद

श्री एम्स दोषी, मनोहर दोषी और श्रीएच दोषी साझेदारी से सेवानिवृत्त हो गए और श्री हसमुख लाल दोषी, श्रीमती राजन एच दोषी, रामा श्रीप्रकाश एच दोषी और शिवाजी वैश दोषी इससे जैसे साझेदारों से मिलकर साझेदारी फ़र्म का पुनर्गठन किया।

2.2 01.11.1992 फ़र्म का पुनर्गठन किया गया तथा 3 अधिक भागीदार, श्रीमती वैशाली शाह (18%), श्रीमतीभावनादोषी (9%), श्रीमतीरूपलदोषी (9%) और सुश्री रंजना टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेडको 10% भागीदार के रूप में स्वीकार किया गया। नए साझेदारों का योगदान इस प्रकार था:

श्रीमती वैशाली शाह - 4.50 लाख

एम एस रंजना टैक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड- 2.50 लाख

श्रीमती भावना दोषी- 2.25 लाख

श्रीमती रूपल दोषी - 2.25 लाख

पुनर्गठित साझेदारी मे यह उल्लेख किया गया था की दो साझेदार अर्थात् श्री हँसमुख एच दोषी और श्रीमती रंजन दोषी ने अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा वापस लेने का फ़ैसला किया था।

2.3 01.01.1993 संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया सो और 17.34 करोड़ की राशि साझेदारों के खातों में उनके साझाकरण अनुपात जमा किएगए। मौजूदा साझेदारों में से दो,अर्थाहसमुखलालदोषी औरश्रीमती रंजन दोषी ने अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा निकाल लिया जो लगभग रुपये 20 से 25लाख है। इस प्रकार, राज्स के अनुसार, नए साझेदारों को उनके पूंजी खातों में पुनर्मूल्यांकन राशि के रूप में क्रेडिट से तुरंत लाभ हुआ । वैशाली शाह (जिन्होने 4.50 लाख रुपया का योगदान दिया) को 3.12 करोड़ रुपये जमा किये गए, श्रीमती रूपल दोषी को स्वान पंख फ़ाइव 6 करोड़ सौ–

2.4 प्रतिवादी ने प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए अपनी आय विवरणी दाख़िल किया, आय विवरण में निर्धारण वर्ष 1993-1994के लिए रुपये 3,18,760 की दर से लागू किया गया था।आयकर अधिनियम 1961की धारा 1431 के तहत स्वीकार किया गया था । तथापि, उसके बाद,धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके आयकर अधिनियम की धारा 147के तहत मूल्यांकन फिर से पुनः आरम्भ फिर दिया गया था । कुल 2,55,19,490 रुपये का अतिरिक्त आय का निर्धारण करते हुए धारा 147 के साथ धारा 143 के तहत मूल्यांकन का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन किया गया था । आयकर अधिनियम की धारा 45(4) तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में 17,34,86,772 रुपये का भुगतान किया गया। सामान वृद्धि निर्धारण वर्ष 1994-1995 के लिए किया गया था।

2.5 ए ओ के अनुसार, निर्धारिती ने भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन किया और निर्धारण वर्ष 1993-1994 के लिए 21,13,225/- से 17,56,00,000/- रुपया मूल्यांकन बढ़ाया। जिससे

सम्पत्ति के मूल्य में 17,34,86,772/- रुपया की वृद्धि भी हुई और इसलिए परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और बाद में इससे संबंधित भागीदारों की पूंजी खातों में जमा करना स्थानांतरण माना जाता है जो आयकर अधिनियम की धारा 45(4) के तहत पूंजीगत लाभ कर के लिए उत्तरदायी थाi भूमि और भवन शामिल थे, निर्धारित ने भवन पर मूल्यह्रास का दावा किया था,और मूल्यांकन अधिकारी नेधारा 50 के अंतरगत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि का आकलन किया था।

2.6 आयकर आयुक्त अपील (आयी टी) द्वारा आदेश दिनांक 30.07.2004 मैं अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के कारण वृद्धि की पुष्टि की और माना कि परिसंपत्तियों का स्पष्ट वितरण हुआ है क्योंकि भागीदार ने भी पूंजी खातों से राशि आरन की है।सी आयी T ने यह भी देखा की फ़र्म की संपत्ति का मूल्य जो आमतौर पर साझेदारी के सभी भागीदारों सेसंबंधित था, प्रत्येक भागीदार को उनके लाभ साझाकरण अनुपात में परिवर्तिनी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है। इस सीमा तक की मूल्य प्रत्येक साझेदार को सौंपा गया है, साझेदारी ने संपत्तियों में अपने हित को प्रभावी ढंग से त्याग दिया है और इस तरह के त्याग को केवल परित्याग द्वारा स्थानांतरण कहा जा सकता है। इसलिए वितरित मूल्य की सीमा तक संपत्ति को निर्धारित फ़र्म के हाथो पूंजीगत लाभ से आय माना जाएगा। स आयी टी ने यह भी देखा ही पुनर्मूल्यांकन संपत्तियों का हस्तांतरण पिछले वर्ष के समय हुआ था और इसलिए पूंजीगत लाभ का दायित्व निर्धारण वर्ष 1993-1994 में उत्पन्न होता है | इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रकरण आयकर आयुक्त बनाम Mनाइक एसोसिएट्स और अन्य (2004) 265 आइटीआर 346 (बॉम्बे) इसपर भरोसा किया और इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रकरण इससे आयकर आयुक्त मुम्बई बनाम टैक्स पेन इंजीनियरिंग और एम एस जी इससे वर्कर्स, मुम्बई (2003) 345 (बॉम्बे) को अलग बताया।

2.7 निर्धारिती द्वारा की गई अपील में, आयी टी ई टी निर्णय और आदेशदिनांक 26.10.2006 द्वारा और आयकरआयुक्त, पश्चिमबंगाल बनाम हिन्द कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, (1972) 4 एसीसी 416 के प्रकरण में इस न्यायालयके निर्णय पर भरोसा करते हुए अपील की अनुमति दी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के लिए ई ओ द्वारा की गई बढ़ोतरी को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में देखा और माना परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और भागीदारों के खाते में जमा करने में कोई हस्तांतरण शामिल नहीं था।itatने देखा एवं निर्धारित किया, ये मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फ़ैसला ए एन न्यायिक एसोसिएट्स और अन्य लागू नहीं होगा और माना जाएगा फिर इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फ़ैसला टैक्स पैन इंजीनियरिंग और एम एस जी वर्क, मुंबई लागू होगा।

2.8 इस न्यायालय के निर्णय हिंद कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पर भरोसा करना ,निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों को ख़ारिज कर दिया है।इसलिए वर्तमान

अपीलें 2022 की सिविल अपील संख्या 8258 निर्धारण वर्ष 1993-94 से संबंधित और 2022 की अपील संख्या 8259 आय 1994-1995 से सम्बंधित राजस्व द्वारा दायर की गई है।

3. श्री रूपेश कुमार, राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वक़ील ने सुदृढ़ता पूर्वक प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियो और क़ानून दोनों में, आयी टी ई टी के साथ साथ ही उच्च न्यायालय ने अल्प कालिक पूंजीगत लाभ के लिए ईओ द्वारा किए गए अतिरिक्त को हटाने में गंभीर गलती की है। यह प्रबल रूप से प्रस्तुत किया किया गया है कि इससे वर्तमान मामले में कम्पनी की संपत्ति का मूल्य रुपय की राशि बढ़ाने के लिए पुनर्मूल्यांकन किया गया था। निर्धारण वर्ष 1993-1994 से सम्बंधित 01.01.199317. 34 करोड़ रुपये और पुनर्मूल्यांकन राशि उनके लाभ साझा करण अनुपात में भागीदारों के खातों में जमा की गई थी और परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन राशि का क्रेडिट भागीदार की पूंजी खाते में प्रभावी वितरण में था I संपत्ति का मूल्य रुपये साझेदारों को 17.34 करोड़ रुपया मिले और इन वर्षों के दौरान 2.5-4 लाख के बीच छोटी मात्रा में पूंजी का शुरुआत करके कुछ नए साझेदार शामिल किए गए। और इन भागीदारों को भागीदारी में जोड़ने की तत्पश्चात ही अपने पूंजीगत खाते में सो भारी राशि प्राप्त हुई I भागीदारों को यह राशि निकालने के लिए उपलब्ध थी । ऐसी राशि जो पुनर्मूल्यांकन की गई और संबंधित साथियों की पूंजी खातों में जमा की गई थी, उस हस्तांतरण कहा जा सकता है। और इसलिए आयकर अधिनियम में 01.04.1988 सम्मिलित धारा 45(4) प्रावधान लागू होंगे।

3.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि सुनने में उच्च न्यायालय ने धारा 45(4) की प्रस्तावना कि उद्देश्य की सराहना ठीक से नहीं किया । यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 45(4) की प्रस्तावना धारा 2(47) के खंड के लोप के साथ किया गया था ।धारा 47(ii) हटा दिया गया, हस्तांतरण की परिभाषा के दायरे से सम्पत्तियों के वितरण के माध्यम से सो परिवर्तन को छूट दी गई सो यह प्रस्तुत किया गया है कि इस कि इससे करदाता को परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करके और फिर विज्ञान पर सो उसे स्थानांतरित और वितरित करके पूंजीगत लाभ कर सो लगाने से बचने में मदद मिली। धारा 45(4)को शामिल करके और धारा को हटाकर इस ख़ामी को दूर करने की कोशिश की गई थी I

3.2 इससे यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए तथ्यों और परिस्थितियों के मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 45(4) उपयोग करते हुए इस अल्पकालिक पूंजीगत लाभ में बढ़ोतरी की, जिसे आयी टी ई टी द्वारा हटाने की आवश्यकता नहीं थी ।

3.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 45(4) केसम्मेलन के बाद, साझेदारों के खाते में पूंजीगत परिसंपत्तियों का वितरण पूंजीगत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण माना जाता है और इसलिए फ़र्म के हाथों पूंजीगत लाभ के रूप में मूल्यांकन योग्य होता है।

3.4 अब, जहाँ तक इस माननीय न्यायालय के निर्णय पर सो निर्भरता की बात है इससे हिंदू कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड के मामले में न्यायालय इससे निर्धारिती द्वारा भरोसा करते हुए यह दिन सास यह जनता से प्रस्तुत सौ किया गया है कि उक्त निर्णय लागू नहीं होगा क्योंकि उक्त निर्णय आयकर अधिनियम की धारा को शामिल करने से पहले प्रावधानों पर विचार कर रहा था। इससे यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद आयकर अधिनियम की धारा 45(4)को विशेष उद्देश्य और उद्देश्य से जोड़ा गया है। सो यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए उक्त निर्णय आयकर अधिनियम की धारा 45(4) इसके प्रभाव पर विचार करते समय लागू नहीं होगा।

3.5 यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके विपरीत इससे बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय इससे एम नाइक एसोसिएट्स और अन्य इसके मामले में सो पूरी ताक़त से सो लागू होगा क्योंकि यह धारा 45(4) के साथ संबंधित था।इससे यह प्रस्तुत किया गया है कि सूखे एन नायिका एसोसिएट्स और अन्य इस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सौ आयकर अधिनियम की धारा 45(4) मै उपयोग किए गए शब्द अन्यथा की व्याख्या की है और माना है इसकी धारा 45(4) इसमें उपयोग किया गया शख़्स अन्यथा न केवल वेतन के मामलों को अपने दायरे में लेता है इससे बरसात साथ साझेदारी के मौजूदा साझेदारों, सोमवार ने वित् साझेदार के पक्ष में सो परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के मामले भी शामिल करता है ।

3.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ कर एवं बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय एन नायिका एसोसिएट्स और अन्य इसपर भरोसा कर इससे वर्तमान अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की जाती है ।

4. इन दोनों अपीलों का प्रतिवादी इसके निर्धारिती की ओर से उपस्थित हुए विघान वक़ील शुक्ला ने फिर पुरजोर विरोध किया है।

4.1 सो यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में माना जाता है कि साझेदारी फ़र्म का कोई विकेट नहीं सो किया था और साझेदारी फ़र्म के विघटन पर सो पुनर्मूल्यांकन नहीं था । यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में इससे आधे दारी फ़र्म का पुनर्गठन किया गया था सो और पुनर्मूल्यांकन पर सो इस तरह की पुनर्मूल्यांकन के कारण सौ अधिशेष राशि साझेदारों की पूंजी खाते में जमा की गई दी सुविधा सौ यह प्रस्तुत किया गया है कि स्वराज्य दारू की पूंजी खाते में जमा किए गए ऐसे पूनर्मूल्यांकन के कारण सो इस दिन शेष को आयकर अधिनियम की धारा 45(4) प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरण नहीं कहा जा सकता है ।

4.2 यह प्रस्तुत किया गया है कि इससे आयकर अधिनियम की धारा 45(4) प्रावधानों के अनुसार सौ दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक था।सबसे पहले सौ पूंजीगत परिसंपत्तियों के वितरण के माध्यम से स्थानांतरण होना चाहिए, दूसरा ऐसा हस्तांतरण या तो साझेदारी फ़र्म के विज्ञापन के कारण या अन्यथा होना चाहिए

4.3 स्व यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में सौ वर्ष के दौरान सौ साझेदारी फ़र्म की परिसंपत्तियों का न तो कोई सुध वितरण हुआ और न ही साझेदारी फ़र्म का विघटन हुआ या अन्यथा साझेदारी फ़र्म का कोई अन्य कार्य हुआ। इसके परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर इससे अधिशेष इसको सभी साझेदारों के इसाक जिदा रीज़ पूंजी खाते में काल्पनिक रूप से जमा किया गया था । इससे यह प्रस्तुत किया गया है कि सो इसलिए जैसा कि इससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इससे पुष्टि की गई इससे आई टी ए टी द्वारा सही ढंग से देखा और निर्धारित किया गया है , यह आयकर अधिनियम की धारा 45(4) इसके तहत स्थानांतरण या माना गया स्थानांतरण का मामला नहीं था और इसलिए इससे दोनों इस आई टी ए टी साथ ही उच्च न्यायालय ने अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के लिए किए गए अतिरिक्त को हटा दिया है ।

4.4 इससे निर्धारित की ओर से इस्ला मंथन में उपस्थित विद्वान व कि उनकी उपरोक्त दलील में कहा गया है कि इससे चूँकि साझेदारी फ़र्म का कोई विकेट नहीं हुआ था और इसलिए पुनर्मूल्यांकन पर संबंधित भागीदारों के पूंजी खातों में राशि के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जा सकता है । इससे हिन्द कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इसके मामले में सो साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय इससे पैक स्पिन इंजीनियरिंग और एम एस जी मुंबई के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भारी निर्भरता रखी गई है

4.5 यह प्रस्तुत किया गया है कि पूंजीगत संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन के कारण इसको ही आय नहीं हो सकती है सो जब तक कि इससे पूंजीगत संपत्ति भी हस्तांतरित न हो जाए। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब भी किसी परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है सो लेखांकन मानदंडों के अनुसार भी पुनर्मूल्यांकन के कारण संबंधित अनुमानित अधिशेष होता है । इससे कम्पनियों के मामले में सोनम मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाना आवश्यक है सो यह साझेदारी फ़र्म के मामले में भागीदारों की पूंजी खाते में जमा किया जाना आवश्यक है । इससे यह केवल काल्पनिक यह पुस्तक प्रतिष्ठित है सो जिसे किसी अतिरिक्त मूर्त संपत्ति इससे यह आयी द्वारा दर्शाया नहीं गया हैं। इससे यह प्रस्तुत किया गया है कि एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि पुनर्मूल्यांकन पर फ़र्म को कोई लाभ यह लाभ नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक आय होती है तो ऐसे लाभ और लाभ का कोई वितरण भी नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे साझेदारी की आय में पूंजीगत लाभ के रूप में कर नहीं जोड़ा जा सकता है।

4.6 यह प्रस्तुत किया गया है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय ईयन नाइट एसोसिएट्स और अन्य मामले में लागू नहीं होगा जैसा कि बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष उस मामले में साझेदारी फ़र्म की संपत्ति सेवानिवृत्ति के बिल्ले के माध्यम सेसेवानिवृत्त साझेदार को हस्तांतरित कर दी गयी थी और एक पारिवारिक समझौते में प्रवेश किया गया था और उन फर्मों का व्यवसायी निर्धारित किया गया था उसमें पारिवारिक समझौते के अनुसार वितरण किया गया था क्योंकि पार्टी की इच्छा थी कि व्यवसायी और उससे जुड़ी संपत्तियों से संबंधित विभिन्न

मामलों को विभाजित किया जाए या अलग अलग विभाजित किया जाए। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक बार ऐसा होने पर सेवानिवृत साझेदारों को साझेदारी इसकी संपत्तियों का फल हस्तांतरण फुंसी गत लाभ फॉर व्यावसायिक मुनाफ़े की प्रकृति में पूंजीगत सम्पत्तियों के हस्तांतरण के बराबर होगा जो आयकर अधिनियम धारा 45 (4) के तहत कर के दायरे में आते हैं। प्रस्तुत है कि उस संदर्भ में यह माना गया कि अन्यथा शब्द न केवल वेतन के मामलों को अपने दायरे में लेता है बल्कि साझेदारी की मौजूदा साझेदारों सेवानिवृत्त साझेदार के पक्ष में संपत्ति हस्तांतरित करने के मामले को भी अपने दायरे में लेता है। यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि फँस इस संदर्भ में फँस बम्बई उच्च न्यायालय ने फ़ी निर्णय किया की धारा 45(4) लागू होगी।

4.7 उपरोक्त दलीलें देते हुए वर्तमान अपील को ख़ारिज करने की प्रार्थना की गई है

5. हमने संबंधित फिर की ओर से उपस्थित विद्वान वक़ील के पक्षकारों को विस्तार से सुना है

6. इस न्यायालय पर विचार हेतु फिर जो लघु प्रश्नों प्रस्तुत किया गया है अधिनियम, 1987 द्वारा प्रस्तुत आयकर अधिनियम की धारा 45(4) की प्रयोज्यता है।

7. धारा 45 का प्रासंगिक भाग, जिससे हम संबंधित हैं उपधारा (4) है, जो इस प्रकार हैं:-

'(4) किसी फ़ार्म यह व्यक्तियों की अन्य संग यह व्यक्तियों के निकाय सौ (एक कम्पनी यह एक सहकारी समिति होने के नाते नहीं) के विघटन पर पूंजीगत संपत्ति के वितरण के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ। या अन्य था पिछले वर्ष की फ़ार्म सौ एसोसिएशन या निकाय की आय के रूप में कर लगाया जाएगा जिसमें उक्त हस्तांतरण होता है और धारा की प्रयोजनों के लिए निष्पक्ष ऐसे हस्तांतरण की स्थिति पर परिसंपत्ति का बाज़ार मूल्य हस्तांतरण की परिणाम स्वरूप प्राप्त अर्जित प्रतिफल का पूरा मूल्य माना जाएगा या अन्य था पिछले वर्ष की फ़ार्म सौ एसोसिएशन या निकाय की आय के रूप में कर लगाया जाएगा जिसमें उक्त हस्तांतरण होता है और धारा 48 की प्रयोजनों के लिए निष्पक्ष ऐसे हस्तांतरण की स्थिति पर परिसंपत्ति का बाज़ार मूल्य हस्तांतरण की परिणाम स्वरूप प्राप्त अर्जित प्रतिफल का पूरा मूल्य माना जाएगा ।

7.1 वित् अधिनियम, 1987, 01.04.1988 प्रभावी सुधारा 45(4) में संशोधन किया गया। उपरोक्त 45(4) पढ़ने से पूंजीगत लाभ को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:-

1. पूंजीगत संपत्ति के वितरण के माध्यम से पूंजीगत सम्पत्ति का हस्तांतरण

ए : किसी फ़र्म के विघटन के कारण

बी: स्व या व्यक्तियों का अन्य संघ

सी: व्यक्तियों का निकाय

या अन्यथा

7.2 धारा 45(4) कि परिचय का उद्देश्य एवं प्रयोजन था कि धारा 45(4) को सम्मिलित करके और धारा 2(47) को हटाकर खामियों को दूर करना।धारा 45(4) का परिचय देते समय धारा 2(47) का खंड हटा दिया गया इससे पहले धारा 2(47) और धारा 47(ii) को हटाने से पूंजीगत परिसंपत्तियों के वितरण के माध्यम से परिवर्तन को हस्तांतरण की परिभाषा के दायरे से छूट मिल गई थी। इससे करदाता को परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करके और फिर विघटन के समय उसे स्थानांतरित और वितरित करके पूंजीगत लाभ लगाने से बचने में मदद मिली।धारा 45(4) को सम्मिलित करके और धारा 2(47) को हटाने से उक्त ख़ामी दूर हो गई। इस स्तर पर यह ध्यान रखना आवश्यक है की धारा 45(4) में प्रयुक्त शब्द या अन्यथा बहुत महत्वपूर्ण है

7.3 वर्तमान मामले में यह निर्धारिती की ओर से फिर मामला था की हद कंस्ट्रक्शन लिमिटेड सौ मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए जब तक साझेदारी फ़र्म का वेतन नहीं होता है और इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन पर राशि संबंधित भागीदारों के पूंजी खातों में स्थानांतरित नहीं होती है तब तक आयकर की धारा 45(4) लागू नहीं होगी। निर्धारिती की ओर से यह मामला है कि केवल पूंजीगत सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण कोई आयी नहीं हो सकती है जब तक की पूंजीगत संपत्तियां भी स्थानांतरित न कर दिया हो, निर्धारिती के अनुसार साझेदारी की पूंजी खातों में पुनर्मूल्यांकन पर जमा की गई राशि केवल काल्पनिक यह उस तक प्रविष्टि था जिससे किसी अतिरिक्त मूर्त संपत्ति आर द्वारा दर्शाया नहीं जाता है इसलिये निर्धारित की ओर से प्रस्तुत करने का योग और साल यह है कि जब तक साझेदारी फ़र्म का विकेट नहीं होता है, और केवल संबंधित भागीदारों के पूंजी खातों में पुनर्मूल्यांकन पर राशि का हस्तांतरण होता है, धारा 45 (4) आयकर अधिनियम लागू नहीं होगा।

7.4 हालाँकि इससे आयकर अधिनियम की संशोधित धारा को मद्देनज़र जिससे वित् अधिनियम, 1987 के माध्यम से डाला गया । जिसके द्वारा यह अन्यथा विशेष रूप से जोड़ा गया है इससे निर्धारित की ओर से उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में कोई दम नहीं है।एन न्यायिक एसोसिएट्स और अन्य के मामले में बांबे उच्च न्यायालय को धारा 45(4) में प्रयुक्त शब्द अन्यथा पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिला। धारा 45(4) के विस्तृत विश्लेषण के बाद यह देखा गया और माना गया की धारा 45(4) इसमें उपयोग किया गया शब्द अन्यथा न केवल वेतन के मामलों को अपने दायरे में लेता है बल्कि साझेदारी के मौजूदा साझेदारों को स्थानांतरित करने के मामले को भी अपने दायरे में लेता है । सेवानिवृत्त साझेदार के पक्ष में इस्लाम पट्टी फिर ऐसा मानते हुए इससे इसे पैराग्राफ़ 14,21,22,24 में निम्नानुसार देखा गया है:-

14. साझेदारी के वेतन पर पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ परफ़ॉर्म की आय के रूप में करलगाया जाता है। निर्धारित की ओर से यह तर्क दिया गया है कि धारा 45(4) की शुरुआत के बाद भी स्थिति परिभाषा खंड के समान ही रहेगी। इससे अर्थात धारा 2(47) में संशोधन नहीं किया गया है।

दूसरे यह तर्क दिया जाता है कि अभिव्यक्ति अन्यथा एजुस्डेम जेनेरिस इससे फ़र्म के विज्ञापनों की अभिव्यक्ति के साथ पढ़ी जानी चाहिए| इस प्रकार माना जाए तो मामले के तथ्यों पर कोई विघटन नहीं होता है। इससे हालाँकि राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया है इसकी यह संशोधन क़ानून को घोषित मानते हुए फटकार का भुगतान करने से बचने वाले पक्षों द्वारा की गई गलती और खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अन्यथा अभिव्यक्ति को निर्धारित फ़ॉर्म की पूंजीगत संपत्ति को किसी भागीदार को हस्तांतरण के लिए पढ़ा जाना चाहिए । क्यों की धारा 2 (47) एक स्वामी है ख़्वाब है फिर इसलिए अधिनियम की धारा इसके तहत स्थानांतरण की परिभाषा में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए स्थिति की जाँच 1988 इसके बाद संशोधित क़ानून के संदर्भ में की जानी चाहिए

21. उपरोक्त के साथ से अब हम इस बात का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं । स्व मौजूदा फ़ॉर्म से किसी साझेदारियां साझेदार की सेवानिवृत्ति पर फॉर जो फ़ार्म से संपत फ़्री प्राप्त करता है 1998 इससे पहले का क़ानून वास्तव में कोई समर्थन नहीं करेगा क्योंकि धारा 45(4) इसके द्वारा जो अन्य तात्कालिक योग्य नहीं था उसे कर योग्य बना दिया गया है । ऐसा लगता है कि धारा 45(4) सर्वोच्च न्यायालय के मालाबार मत फिर अब पालन कंपनी बनाम आयकर आयुक्त के रेल फ़ैसले पर क़ाबू पाने के उद्देश्य से पेश की गई और अन्य निर्णयों में यह विचार किया गया कि फ़ार्म के पास अपने आप में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह साझेदार है जो संयुक्त रूप से यह सामान्य रूप से संपत्ति के मालिक हैं और इस तरह होने वाली गलती का समाधान करते हैं। ब्रिटेन पर पंजीकृत परिस्थितियों का वितरण अब पूंजीगत लाभकरके अधीन है, जब तक कि यह धारा2(47) के तहत हस्तांतरण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। साझेदारी से सेवानिवृत्त सौ होने वाले भागीदारों को परिसम्पत्तियां वितरित करने वाली मौजूदा साझेदारी के भागीदारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा । सुज़ साझेदारी की परिसंपत्ति, सो ईवान ने व्यक्त साझेदार फिर यह साझेदारों को आवंटित किए जाने पर अन्यथा अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया है की अभिव्यक्ति अन्य अन्यथा को एजुस्डेम जेनेरिस साझेदार सौ यह व्यक्तियों के निकाय के वेतन के साथ पढ़ना होगा और उस उद्देश्य के लिए डिवीज़न बेंच सौ आयकर आयुक्त बॉम्बे सिटी फुट बनाम अब्दुल कादिर इब्राहिम ट्रस्ट के ट्रस्टी 1975(100) 85 आयी टी आर के फ़ैसले पर निर्भरता रखी गई थी । सुधारा एक चार ज़िंदा रहा है ।इससे के अधिनियम का उद्देश्य इससे धर्मों की पूंजीगत सम्पत्ति के वितरण पर उत्पन्न होने वाले कार को वसूलना था जो अन्यथा कराधान के अधीन नहीं था। सो यदि उप धारा (4) चार की भाषा का अर्थ यह

लगाया जाता है इसकी अन्यथा को वेतन की प्रकृति में भाग लेना होगा या वेतन माना जाएगा सो संशोधन के उद्देश्य को परिसंपत्तियों की वितरित करके फिर आगे दारू द्वारा कुछ साझेदारों के लिए जो सेवानिवृत्त हो सकते हैं विफल किया जा सकता है । तब प्रारम्भ कर लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी और इस प्रकार संशोधन अभी नियमों का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। वित् अधिनियम 1987 से पहले साझेदारी के मामले में यह माना जाता था की संपत्ति साझेदारों की यह साझेदारी की नहीं। इसलिए यदि सेवानिवृत्त पार्क किसी भागीदार को सम्पत्ति का अपना हिस्सा प्राप्त होता है तो वह एकल संपत्ति के रूप में हो सकता है यह माना गया कि कोई स्थानांतरण नहीं हुआ और इसी तरह साझेदारी का विघटन भी हुआ। एक निर्धारिती द्वारा अपनायी गई इससे एक अन्य युक्ति स्वतंत्र रूप से रखी गई संपत्ति को उस फ़िल्म की संपत्ति के रूप में परिवर्तित करना था जिसमें व्यक्ति भागीदार था। उच्चतम न्यायालय फिर कार्तिके बनाम साराभाई बनाम सी आयी टी, 1985(156) आयीटी निर्णय में यह विचार किया कि इससे स्थानांतरण नहीं माना जाएगा और इसलिए यह पूंजीगत लाभ के दायरे में बाहर हो गया है। दर कि यह है कि व्यक्तिगत पर संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विचार अनिश्चित था, साझेदारी के अस्तित्व के दौरान समय समय पर लाभ का अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए और साझेदारी के विज्ञापन पर साझेदार को प्राप्त होने वाला अधिकार उत्पन्न के अर्जित किया गया था। ग़ैर साझेदारी परिसंपत्ति से उसके हिस्से का मूल्य। इससे संसद में वित् अधिनियम 1987 द्वारा पूंजीगत लाभ कर से बचने के लिए इससे इस मार्ग को अवरूद्ध करने के घोषित उद्देश्य से दारा की उप धारा 45(3) पेश की है इसका प्रभाव यह हुआ कि पूंजी के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ किसी भागीदार द्वारा किसी फ़र्म को दी गई संपत्ति की जिसमें हस्तांतरण हुआ था पिछले वर्ष की भागीदारी की आय के रूप में प्रभाय है। दुकान पर गया अन्यथा साझेदारी परिसंपत्तियों को व्यक्तिगत परिसंपत्तियों में बदलने पर भी कर से बचने की उस योजना का हिस्सा बनता है।इन खामियों को दूर करने के लिए वित्तीय अधिनियम सौ क़ानून की धारा मैं एक नई उदारा लेकर आया।इसका प्रभाव यह है कि किसी फ़र्म द्वारा किसी भागीदार को वेतन पर याअन्य पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ यह लाभ पिछले वर्ष में फ़र्म की आय के रूप में और गणना की प्रयोजनों के लिए प्रभाय होगा। पूंजीगत लाभ हस्तांतरण की नीति पर परिसंपत्ति का उचित बाज़ार मूल्य हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अर्जित प्रतिफल का पूरा मूल्य माना जाएगा इसलिए अधिनियम 1987 का उद्देश्य देखा जाता है और वह जिस गलती से बचना चाहता है,यह स्पष्ट हो जाएगा कि संसद का आशय कर के ना की लेन देन दायरे में लाना था, जिसके तहत परिसंपत्तियों को सौ एक फ़र्म में लाया गया था सो या फ़र्म से बाहर ले जाया गया था सो हमारी राय में अभिव्यक्ति अन्यथा को एजुस्डेम जेनेरिस किसी फ़र्म या निकाय यह व्यक्तियों की संपत्ति का विघटन शब्द के साथ पढ़ा नहीं जाना चाहिए।

अन्यथा अभिव्यक्ति कोई पूंजीगत सम्पत्ति के वितरण के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण शब्दों के साथ बड़ा जाना चाहिए। फिर यदि इसे पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता

है कि जब कोई फ़र्म अस्तित्व में पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण होता है तब भी यह अन्यथा भी व्यक्ति के अंतर्गत आता है क्योंकि संशोधन अधिनियम 1987 का उद्देश्य उस ख़ामी को दूर करना था जो मौजूद की जिससे पूंजीगत लाभ लगाया नहीं जाता था। इससे इसलिए हमारी राय में जब साझेदारी की सम्पत्ति सेवा निवृत्त साझेदार को हस्तांतरित की जाती है भुक्कड़ निर्धारण योग्य साझेदारी समाप्त हो जाती है इससे। संपत्ति में अधिकार रखने का अधिकार या उसका अधिकार उस भागीदार के पक्ष में समाप्त हो जाता है जिसे वह हस्तांतरित की गई है।सो यदि ऐसा है तो यह धारा 45 ये संशोधन के उद्देश्य फॉर इरादे को आगे बढ़ाएगा। एक बार फिर ऐसा मामला होने पर हमें यह मानना होगा कि सेवानिवृत्त साझेदारों को साझेदारी की संपत्ति का हस्तांतरण हस्तांतरण के बराबर होगा। पूंजीगत लाभ और व्यावसायिक लाभ की प्रकृति में पूंजीगत सम्पत्ति जो आयकर अधिनियम की धारा 45(4) इसके तहत कर योग्य है। इसलिए इस हमें फ्रेशनर संख्या का उत्तर यह मानकर देना होगा कि अन्यथा शब्द न केवल विज्ञान के मामलों को अपने दायरे में लेता है बल्कि साझेदारी के मौजूदा साझेदारों सेवानिवृत साझेदार के पक्ष में संपत्ति हस्तांतरित करने के मामलों को भी अपने दायरे में लेता है ।

24. इस खंड को धारा 47(11) इसमें पहले से ही निहित मानते हुए इसका अर्थ था कि किसी फ़र्म के विघटन पर पूंजीगत संपत्ति का वितरण वग़ैरह स्थानांतरण नहीं माना गया । इससे वित् अधिनियम 1987, 1-4-1988 प्रभावी सौ इस खंड को हटा दिया गया सो जिसका प्रभाव यह है इसकी किसी फ़र्म के विघटन पर पूंजीगत संपत्ति का वितरण आपसे स्थानांतरण माना जाएगा। इसलिए धारा 2(47) इसमें संशोधन करने के बजाय इसके धारा 47(11) को हटाकर वित् अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया जिसका परिणाम यह है कि किसी फ़र्म के विघटन पर पूंजीगत संपत्ति का वितरण स्थानांतरण करना मानाजाएगा। इसलिए इस तर्क को ख़ारिज कर दिया जाना चाहिए कि यह स्थानांतरण नहीं होगा। अब यह स्पष्ट है कि जब परिसंपत्ति किसी भागीदार को हस्तांतरित की जाती है तो वह अन्यथा अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है और साझेदारी की उस परिसंपत्ति में अन्य भागीदारों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं । यह देखते हुए कि सेवानिवृत्ति पर साझेदारों को केवल उसका हिस्सा मिलता है यह माना गया कि अधिकार का कोई हनन नहीं है।संशोधन पर विचार करते हुए स्पष्ट रूप से एक स्थानांतरण है और यदि कोई स्थानांतरण होता है तो यह पूंजीगत लाभ कर के अधीन होगा।

7.5 वर्तमान मामले में साझेदारी फ़र्म की संपत्तियां मूल्य में रुपये सौ करोड़ को निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक इसकी वृद्धि करने के लिए सुंदर मूल्यांकन किया गया और पुनर्मूल्यांकन राशि को उनके लाभ साझा करें अनुपात में भागीदारों के खातों में जमा किया गया था और परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन राशि को भागीदारों की पूंजी खातों में जमा किया जा सकता है। सौ रुपये के मूल्य की संपत्ति के प्रभावी वितरण में कहा गया है। इससे साझेदारों को 17.34 करोड़ रुपया मिले और इन वर्षों के दौरान छोटी मात्रा में पूंजी की शुरुआत से कुछ नए साझेदार शामिल हुए ।

[सो दुपहर इससे रुपये इसके बीच है और उक्त नए शामिल साझेदारों के पास साझेदारी में शामिल होने के तुरंत बाद उनकी पूंजी खातों में भारी क्रेडिट था जो राशि साझेदारी को निकासी की इसलिये उपलब्धि और वास्तव में कुछ साझेदारों ने अपनी पूंजी खातों में जमा की गई राशि को वापस ले लिया । इसलिए इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन परिसंपत्तियां और संबंधित भागीदारों की पूंजी खातों में जमा को स्थानांतरण कहा जा सकता है और जो अन्यथा की श्रेणी में आते हैं और सलिए वित् अधिनियम 1987 द्वारा धारा 45(4) का प्रावधान शामिल किया गया है 1987 से लागू होगा ।

7.6 अब इसे जहाँ तक इसकी निर्णय पर निर्भरता की बात है न्यायालय हिंद कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मामले में चिंतित है सुरुआत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है इसके ऊपर निर्णय वित् अधिनियम द्वारा डाले गए आयकर अधिनियम की धारा का पूर्व सम्मेलन था और पहले की शासन में धारा 45(4) इस सम्मेलन शब्द अन्यथा अनुपस्थित था इसलिए हिन्द कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के पास आयकर अधिनियम की संशोधित प्रविष्ठ धारा 45(4) और प्रयुक्त शब्द अन्यथा पर विचार करने का कोई असर नहीं था।से इन परिस्थितियों में नव सम्मिलित धारा इसकी व्याख्या के उद्देश्य से इस मामले में इस न्यायालय का निर्णय हिंद कंस्ट्रक्शन लिमिटेड लागू नहीं होगा और इससे निर्धारित की कोई सहायता नहीं मिलेगी। स्व इस सरकार बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए ई ए नाइट एसोसिएट्स और अन्य मामले में इससे दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं । हम उपरोक्त निर्णय में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं ।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से उच्च न्यायालय और आयी पी एल टी द्वारा पारित निर्णय और आदेश अस्थिर है और उन्हें रद्दै वामा व्रत कर दिया जाना चाहिए ।

तद्नुसार इससे वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि इससे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इससे लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील की अनुमति

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

Translated By: -

Prachi Gunwan

V Additional Judge to I Civil Judge, Junior Division

Satna, (Trainee Judge)